


कार्यालय जिलाधिकारी, हरदोई  
संख्या : ३३/शि०लि०-लोकवाणी/२०१०  
दिनांक : १३, जनवरी २०१०

कार्यालय ज्ञाप


दिनांक १४-१२-२००९ को आहूत जनचेतना समिति की प्रबन्धकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक ०१-०१-२०१० से लोकवाणी के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के रख रखाव हेतु प्रति शिकायत २/- रुपये की दर से लोकवाणी केन्द्र संचालकों से शुल्क आरोपित किया जाये। प्रत्येक लोकवाणी केन्द्र संचालक माह की अन्तिम तारीख तक प्रेषित की गयी शिकायतों की संख्या को २ से गुणा कर धनराशि शिकायत लिपिक के पास अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर जमा करना सुनिश्चित करेंगे, विलम्ब को अनुशानहीनता मानते हुये उनके केन्द्र को निलम्बित कर अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित केन्द्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

  
प्रभारी अधिकारी, शिकायत  
कृते, जिलाधिकारी, हरदोई

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- १- प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरदोई को इस आशय से प्रेषित की जनपद हरदोई की आधिकारिक वेबसाइट पर लोकवाणी केन्द्र संचालकों को संज्ञानार्थ उपलब्ध कराये।
- २- प्रतिलिपि समस्त लोकवाणी केन्द्र संचालकों को अनुपालनार्थ

  
प्रभारी अधिकारी, शिकायत  
कृते, जिलाधिकारी, हरदोई